कार्यालय उद्यान अनुभाग, नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक 49 /उ0अनु0/न0नि0/सहा0 2024–25 दिनांकः– 02 अगस्त, 2024

पार्को को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

एदत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पार्को को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक– 07.06.2024 को दिशा निर्देश र्निगत किये गये है। उक्त के दृष्टिगत पार्को को अंगीकृत किये जाने वाली संस्था का चयन प्रस्तावित है। पार्को को अंगीकृत किये जाने हेतु–

01. कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गाठित किसी कॉपरेट बाडी/संस्था को।
02. सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत गठित संस्था को।
03. राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा गठित किसी सार्वजनिक संस्था, अण्डरटेकिंग, बोर्ड इत्यादि को।
04. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत गठित किसी ट्रस्ट/संस्था को।
05. सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत गठित रेजीडेन्ड वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को।
06. अन्य वैधानिक संस्थायें।

उपरोक्त संस्थाओं से दिनांक 31.08.2024 तक आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित है। विस्तृत नियम/शर्ते उद्यान विभाग नगर निगम सहारनपुर के कार्यालय में कार्य दिवस में देखी जा सकती है।नियम/शर्ते निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com पर भी उपलब्ध है।

प्रभारी अधिकारी उद्यान
नगर निगम सहारनपुर

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर, नगर निगम सहारनपुर को सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आई.टी ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित की पार्क एडॉप्शन पॉलिसी के शासनादेश दिनांक 07.06.2024 को एवं उक्त विज्ञाप्ति को वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com पर अपलोड करने एवं सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी मीडिया को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार अमर उजाला व दैनिक जागरण में कम से कम स्पेस (9 फॉन्ट) में करवाकर बिल मय दो प्रति सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि सम्पादक द्वारा उक्त निविदा का प्रकाशन 09 फॉन्ट में नहीं कराया जाता है तो उसका भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नहीं होगा।
6. सूचना पट् पर चस्पा हेतु।

प्रभारी अधिकारी उद्यान
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with Oken Scanner